कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण में दायर अपील संख्या 3159/2016 श्री रामस्वरूप, प्रधानाचार्य बनाम सरकार में माननीय् अपील अधिकरण–जयपुर के आदेश दिनांक 10.11.16 के द्वारा विभागीय स्थानान्तरण सम्बधी आदेश दिनांक 19–10–2016 का क्रियान्वयन, अपीलार्थी (श्री रामस्वरूप) के सम्बन्ध में अधिकरण के अग्रिम आदेश तक स्थगित किया जाने के कारण, अपील में दिए जाने वाले आगामी/अन्तिम निर्णय के अध्याधीन श्री रानस्वरूप, प्रधानाचार्य, रा. उ मा वि, तुहिया–भरतपुर में एवं श्री बृजेन्द्र सिंह, प्रधानाचार्य राउमावि, राफ–पहाडी भरतपुर में प्रधानाचार्य पद पर कार्यरत रहने का आदेशांक : शिविरा/मा/संस्था/बी–2/अपील–3159/रामस्वरूप/2016 दिनांक 13–12–2016 जारी किया गया था।

माननीय अपील अधिकरण जयपुर में ही दायर एक अन्य अपील संख्या 605/2017 श्री बृजेन्द्र सिहं बनाम सरकार प्रकरण, समान प्रकृति का होने, तथ्य विवादग्रस्त आदेशों में समान बिन्दु अन्तर्वलित होने के कारण दोनों अपीलों पर एक साथ सुनवाई की जाकर एकल निर्णय आदेश दिनांक 27–04–2017 पारित किया गया। माननीय् न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 27–04–2017 में प्रथम अपील संख्या– 3159/2016 द्वारा श्री रामस्वरूप को खारिज योग्य माना है तथा अपील संख्या 605/2017 द्वारा श्री बृजेन्द्र सिहं को इस आश्य के साथ निरस्तारित किया गया है कि प्रत्यर्थी संख्या–3 श्री रामस्वरूप की सेवानिवृत्ति के समय यदि अपीलार्थी श्री बृजेन्द्र सिहं द्वारा राउमावि तुहिया कुम्हेर भतरपुर में स्वंय का स्थानान्तरण हेतु प्रतिवेदन पेश किया जाता है तो उक्त प्रतिवेदन पर सहानुभूति पूर्वक विचार कर इस सम्बध में विभाग समुचित कार्यवाही करे।

माननीय् न्यायालय के उक्त निर्णयादेश की पालना में श्री बृजेन्द्र सिहं द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन दिनांक 17–07–2017 एवं 23–10–2017 पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए, पंजिका में उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेजों के गहन अवलोकन परीक्षण उपरान्त अधो हस्ताक्षरकर्ता इस निर्णय पर पहुँचे कि श्री बृजेन्द्र सिहं वर्तमान प्रधानाचार्य, राउमावि0 रॉफ–पहाडी भरतपुर को दिनांक 31–10–2017 को श्री रामस्वरुप प्रधानाचार्य की सेवानिवृत्ति से रिक्त हुए **प्रधानाचार्य–उमावि0 के स्पष्ट रिक्त पद पर, प्रधानाचार्य राउमावि0 तुहिया–सेवर जिला भरतपुर के रूप में पदस्थापित किया जाता है।** अतः सम्बधित तद्नुसार सूचित हो, शाला दर्पण से सम्बधित समस्त प्रविष्टियां किया जाना तथा प्रकरण में अनुपालना रिपोर्ट से अवगत करवाया जाना भी सुनिश्चित करावें।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस.
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक :– शिविरा/मा/संस्था/बी–2/अपील–3159/रामस्वरूप/2016 दिनांक – 19.12.17

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत :–

1. उप शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग, राज. जयपुर
2. सिस्टम एनालिस्ट कम संयुक्त निदेशक,कार्यालय हाजा को सम्बन्धित पृष्ठांकितों को ईमेल हेतु ।
3. संबंधित शिक्षा उप निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)
4. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक–I/II) को पाबन्द किया जाता है कि उक्त आदेश के क्रियान्वयन की कार्यवाही करा अवगत करावें ।
5. जिला शिक्षा अधिकारी(माध्यमिक विधि) जयपुर को पाबन्द किया जाता है कि उक्त प्रकरण में प्रभावी प्रतिरक्षण की कार्यवाही सुनिश्चित करावें।
6. अनुभाग अधिकारी विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
7. संबंधित संस्था प्रधान
8. संबंधित अधिकारी
9. निजी एवं रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर